

बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ



प्रदेश अध्यक्ष

शंकर यादव

एल.एन.एम.यू., दरभंगा।

मो- 9430996453 / 8271191632

पटना- 800005 (बिहार)

(अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, नई दिल्ली)

पंजीयन-97/82

प्रदेश कार्यालय-अस्थिलेश नगर, पश्चिमी रोड नं-2,
थाना-बाइपास, पोस्ट-झाऊगंज, पटना-800006, मो-7543042345

Email-info@bsuef.org

website: www.bsuef.org



प्रदेश महासचिव

राघवेन्द्र कुमार

बी0आर0ए0बी0यू0, मुजफ्फरपुर

मो-9973358168

♦ उपाध्यक्ष ♦

डॉ दीलिप कुमार गुप्ता

पटना विश्वविद्यालय, पटना
मो- +91- 7631696569

डॉ सरोज कुमार सिंह

जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा
मो- +91- 9939745814

♦ कार्याध्यक्ष ♦

जनाब मंजर इमाम

बी.कू.सिंह विश्वविद्यालय, आरा
मो- +91- 9931062586

♦ संगठन मंत्री ♦

डॉ दिनेश कुमार दिनकर

मगथ विश्वविद्यालय, बोधगया
मो- +91- 9308596371

सुनील कुमार सिंह

कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय
दरभंगा

मो- +91- 9472698751/7979897929

रंजन कुमार

बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर
मो- +91- 9472003662

डॉ राजेश्वर राय

बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
मो- +91- 9431413716

डॉ रविन्द्र कुमार मिश्र

कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय
दरभंगा। मो- +91- 8797275807

सुरेश कुमार चौधरी

तिलका मांकी विश्वविद्यालय, भागलपुर
मो- +91- 9973542172

♦ प्रवक्ता ♦

गौरव

बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर
मो- +91- 9123469271

मो० नसीम अख्तर

सह प्रबक्ता (पटना क्षेत्र)
मौलाना मजहूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय
पटना, मो- +91- 7250267712

♦ संयुक्त कार्याध्यक्ष ♦

सैव्यद शाहिद नक्की

मौलाना मजहूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय
पटना, मो- +91- 7488449803

पंत्रांक-८६९८१२०९ | Patra No. ८६९८१२०९

(१)

दिनांक २५।१२।२०५८

सेवा में,

माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय
राष्ट्रपति भवन मारत सरकार,
नई दिल्ली।

विषय:- राजभवन के आदेश के वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले में अभियोजित एवं चार्जसीटेड डॉ० रविप्रकाश बबलू को जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के कुलसचिव पद से अविलंब हटाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर निवेदित करना है कि:-

1) राजभवन के पत्रांक बी०एस०यू० (रजिस्टर) -२७/२०१७/६९८-जी०एस०(१) दिनांक १९.०५.२०२१ के द्वारा विश्वविद्यालय के एकेडमिक एवं प्रशासनिक हित का हवाला देते हुए डॉ० रविप्रकाश बबलू एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र विभाग, हरिराम कॉलेज, मैरवा, सिवान को जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा का कुलसचिव नियुक्त किया गया (अनुलग्नक १) और डॉ० रविप्रकाश बबलू ने उक्त आदेश के आलोक में १९.०५.२०२१ को ही कुलसचिव के पद पर योगदान भी कर लिया (अनुलग्नक २)। विदित हो कि डॉ० रविप्रकाश बबलू जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में करोड़ ८० की उत्तर पुस्तिका खरीद घोटाले से संबंधित निगरानी थाना कांड सं-१०/२०१५ दिनांक ३०.०१.२०१५ द्वारा धारा - ४०९,४२०,४६७,४६८, ४७७(A), ३४,१२०(B) तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, १९८८ के धारा १३(१) D तथा १३ (२) तहत निगरानी अन्वेषण व्यूरो, पटना द्वारा दर्ज मुकदमे के अभियुक्त हैं। भ्रष्टाचार के इस चर्चित मामले में निगरानी अन्वेषण व्यूरो, पटना के अनुरोधपर तत्कालीन कुलाधिपति महामहिम रामनाथ कोविन्द (वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति) की अनुमति से तत्कालीन प्रधान सचिव श्री ब्रजेश महरोत्तम ने अपने पत्रांक जे०पी०यू० २७/२०१५-१३०९ रा०स०(१) दिनांक १०.०९.२०१५ के द्वारा इस कांड के अन्य विवरित विश्वविद्यालय में समायोजक, महाविद्यालय विकास परिषद के पद पर थे, के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप सही पाते हुए अभियोजन की स्वीकृत प्रदान किया (अनुलग्नक ३)।

2) राजभवन से अभियोजन की स्वीकृत मिलने के उपरांत निगरानी अन्वेषण व्यूरो ने निगरानी कोर्ट, मुजफ्फरपुर में दिनांक १२.१०.२०१५ को अन्य अभियुक्तों के साथ डॉ० रविप्रकाश बबलू के भ्रष्टाचार आरोप पत्र सं० (चार्जसीट) ६४/१५ समर्पित किया (अनुलग्नक ४)। वर्तमान समय में डॉ० बबलू जमानत पर है और मुकदमा जारी है।

3) वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के उक्त मामले में डॉ० आर०पी० बबलू के साथ तत्कालीन कुलपति प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता भी अभियुक्त थे और निगरानी अन्वेषण व्यूरो ने पत्र दायर किया (अनुलग्नक ५,६)। निगरानी अन्वेषण व्यूरो द्वारा आरोप पत्र सर्विपत करने के उपरांत तत्कालीन राज्यपाल सह कुलाधिपति महामहिम रामनाथ कोविन्द ने राजभवन सचिवालय के पत्रांक जे०पी०यू०-२१/२०१४-१६२८/जी०एस०(१) दिनांक ०२.१२.२०१५ द्वारा तत्कालीन कुलपति प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता को कुलपति पद से बर्खास्त कर दिया (अनुलग्नक ७)। मामले की गंभीरता इस बात से परिलक्षित होती है कि विहार में उच्च शिक्षा के इतिहास में पहली बार किसी कुलपति को भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के प्रमाणित आरोप में बर्खास्त किया गया। इतना ही नहीं वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले में कुलपति को सहयोग करने वाले शिक्षकों :पदाधिकारियों को विहार राज्य विविध अधिनियम: १९७६ की धारा ६९(४) के तहत राजभवन के आदेश पर निलंबित कर स्थानांतरित कर दिया गया। इसी क्रम में डॉ० रविप्रकाश बबलू को निलंबित कर आ०बी०जी०आ०० कॉलेज, महराजगंज से हरिराम महाविद्यालय, मैरवा, सिवान स्थानांतरित कर दिया गया और तबसे डॉ० बबलू वहीं पदस्थापित हैं (अनुलग्नक ८,९)।

4) डॉ० बबलू कई आपराधिक मामलों के आरोपी रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त पूर्व कुलपति प्रो० द्विजेन्द्र गुप्ता के विश्वासपात्र होने की वजह से डॉ० बबलू प्रभारी कुलसचिव सहित कई पदों पर आसीन थे और इनकी निरंकुशता इतनी बढ़ गई थी कि वे राजभवन के

बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ



प्रदेश अध्यक्ष

शंकर यादव

एल.एन.एम.यू. दरभंगा।

मो- 9430996453 / 8271191632

पटना- 800005 (बिहार)

(अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ, नई दिल्ली)

पंजीयन-97/82

प्रदेश कार्यालय-अखिलेश नगर, परिचमी रोड नं-2,
याना-बाइपास, पोस्ट-झाङुगंज, पटना-800006, मो-7543042345Email-info@bsuef.org
website: www.bsuef.org

प्रदेश महासचिव

राघवेन्द्र कुमार

बी0आर0ए0बी0य०, मुजफ्फरपुर

मो-9973358168

♦ उपाध्यक्ष ♦

डॉ दीलिप कुमार गुप्तापटना विश्वविद्यालय, पटना
मो- +91-7631696569**डॉ सरोज कुमार सिंह**जयप्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा
मो- +91- 9939745814

♦ कायाध्यक्ष ♦

जनाब मंजर इमामबी.कू. सिंह विश्वविद्यालय, आरा
मो- +91- 9931062586

♦ संगठन मंत्री ♦

डॉ दिनेश कुमार दिनकरमगध विश्वविद्यालय, बोधगया
मो- +91-9308596371**सुनील कुमार सिंह**कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय
दरभंगा
मो- +91-9472698751/7979897929**रंजन कुमार**बी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर
मो- +91- 9472003662**डॉ राजेश्वर राय**बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
मो- +91-9431413716**डॉ रविन्द्र कुमार मिश्र**कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय
दरभंगा। मो- +91- 8797275807**सुरेश कुमार चौधरी**तिलक मांस्की विश्वविद्यालय, भागलपुर
मो- +91-9973542172

♦ प्रवक्ता ♦

गौरवबी.आर.ए.बी.यू., मुजफ्फरपुर
मो- +91-9123469271**मो० नसीम अख्तर**सह प्रवक्ता (पटना क्षेत्र)
मौलाना मजहूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय
पटना, मो- +91-7250267712

♦ संयुक्त कायाध्यक्ष ♦

सैयद शाहिद नक्कीमौलाना मजहूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय
पटना, मो- +91-7488449803

पंत्राक्षरः २०९ | Patna (२)

दिनांक २५.१२.२०२४

आदेश को भी नहीं मानते थे। राजभवन के आदेशों को भी नहीं मानते थे। राजभवन के आदेशों की लगातार अवमानना एवं अनुशासनहीनता की वजह से महामहिम ने डा० रविप्रकाश बबलू का स्थानांतरण दर्शण शास्त्र विभाग, जयप्रकाश विभाग छपरा से पैतृक महाविद्यालय आर०वि०जी०आर० कॉलेज महराजगंज कर दिया था(अनुलग्नक 10)। इनके क्रिया कलापों से नराज राजभवन ने इन्हें दो बार प्रभारी कुल सचिव सहित तमाम पदों से मुक्त करने का आदेश कुलपति को दिया था(अनुलग्नक 11)।

5) डा० रविप्रकाश बबलू ने राजभवन के स्थानांतरण आदेश को पटना उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूजेसी न० 943/2015 के द्वारा चुनौती भी दिया था लेकिन जयप्रकाश विभाग प्रशासन द्वारा इनके आपराधिक इतिहास, भ्रष्टाचार एवं अनुशासनहीनता संबंधी व्योरा जबाबी हलफनामा के माध्यम से न्यायालय के समक्ष सप्रमाण प्रस्तुत किया तो इन्होंने अपना मुकदमा वापस ले लिया (अनुलग्नक 12)। जो एक प्रकार से प्रमाण है कि डा० बबलू का इतिहास दागदार रहा है एवं ये भ्रष्टाचार में पूर्णतः सम्मिलित रहे हैं।

6) इस तरह राजभवन की अनुमति एवं निर्देशों पर वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजित एवं चार्जसीटेड डा० रविप्रकाश बबलू को पुनः राजभवन द्वारा कुलसचिव पद पर नियुक्त करने से विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी छात्र संघ एवं बुद्धिजीवी विसित, राजभवन की नीति एवं रवैया जीरो टालरेस की रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजभवन सचिवालय के अधिकारियों ने महामहिम के समक्ष डा० रविप्रकाश बबलू से जुड़े भ्रष्टाचार एवं आपराधिक मामलों से संबंधित सचिका को अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं कर तथ्यों को छिपाया और इस तरह का अवैध एवं अनुवित्त निर्णय लिया गया। राजभवन के इस निर्णय उच्च शिक्षा जिससे विहार सरकार एवं शिक्षा विभाग की भी छवि पर आधार रहा है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में महामहिम से निवेदन है कि वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामलों में अभियोजित एवं चार्जसीटेड डा० रविप्रकाश बबलू को कुलसचिव को अविलंब बर्खास्त करने की कारबाई हेतु महामहिम को निर्देश दिया जाए तथा राजभवन को विहार में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु आदेशित करने का महथी कृपा

आदर्शरूपी भूमिका अर्पित।**नूतन वर्ष की भुमिका लेन्द्रित।***24/12/2024.*

मवदीय
प्रदेश महासचिव २५/१२/२०२४